प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 40 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 40 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 63,61,00,000/- (रूपये तिरसठ करोड़ इकसठ लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	23633/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	10-07-2026
2	23680/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	14-07-2026
3	23681/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2026-27	14-07-2026
4	23685/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	14-07-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
5	23689/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	14-07-2026
6	23695/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2026-27	14-07-2026
7	23715/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	14-07-2026

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. जौनपुर	लखनऊ बलिया मार्ग (राज्य मार्ग-34) के बड़ौना पानी की टंकी से वाया चिलबिली, मंगौली, सवायन, रूधौली (सरपतहा मोड़) एवं जमौली होते हुए समोधपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 8.300 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	86 /2026/आई/1 235552/23-1-26/001-23-1002(002)/55 /2026-दिनांक-11-02-2026	1486.37 1486.37 1168.75 2.10 1484.27	445.16	34.76	1004.35	150.00
2	प्रा.ख. वाराणसी	जनपद वाराणसी में दालमण्डी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	326/2025/आई/1041748/23-1-25/23-1002(002)/103/2025 दिनांक 30-07-2025-दिनांक-30-07-2025	21588.24 21588.24 1243.99 1.06 21587.18	4300.00	38.59	17248.59	2266.50
3	नि.ख. जौनपुर	काजीपुर दरगाह से जल्दीपुर सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	46.69 46.69 31.84 0.40 46.29	2.18	3.16	40.95	36.32
4	नि.ख. जौनपुर	भसोट बनकट सम्पर्क मार्ग से गुलाब त्रिपाठी के पंपिंग सेट होते हुए सरोज बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	39.29 39.29 21.49 1.30 37.99	1.83	2.66	33.50	26.94
5	प्रा.ख. जौनपुर	आनापुर में ठाकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84	91.28 91.28 65.11 5.00 86.28	4.26	6.17	75.85	67.22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/2026-दिनांक-27-02-2026					
6	प्रा.ख. जौनपुर	गुरदौली मार्ग से मुस्तफाबाद मेन गेट तक मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	63.13 63.13 49.12 0.10 63.03	2.94	4.27	55.82	49.52
7	प्रा.ख. चंदौली	मुगलसराय भूपौली चहनियां मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	98 /2024/आई/5 18217/23-1-24/001-23-1002(002)/19 4/2023 - दिनांक-13-03-2024	6725.11 6725.11 2261.64 498.01 6227.10	4031.27	0.00	2195.83	300.00
8	प्रा.ख. चंदौली	चन्दौली सैदपुर मार्ग से बल्लीपुर सम्पर्क मार्ग।	118 /2026/आई/1 252972/23-1-26/001-23-1002(002)/81 /2026-दिनांक-26-02-2026	49.36 49.36 36.35 0.06 49.30	2.30	3.34	43.66	43.66
9	प्रा.ख. चंदौली	सरने से पिताम्बरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	76.78 76.78 48.35 0.01 76.77	3.59	4.91	68.27	68.27
10	प्रा.ख. चंदौली	जफरपुर नहर पुलिया से रेलवे अण्डर पास होते हुए डिहवा गंजीप्रसाद विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	119.24 118.38 86.24 0.00 118.38	5.57	7.78	105.03	100.00
11	प्रा.ख. चंदौली	सिरसी से रामपुर सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	91.24 91.24 69.48 0.11 91.13	4.25	6.17	80.71	80.71
12	प्रा.ख. चंदौली	एन0एच0 19 रेमा सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	74.62 74.62 57.88 0.05 74.57	3.48	5.05	66.04	66.04
13	प्रा.ख. चंदौली	सिरसी बाराडीह पिडखिड़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-	60.17 60.17 47.26 0.03	2.80	4.07	53.27	53.27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	60.14				
14	प्रा.ख. चंदौली	परमानन्दपुर सम्पर्क मार्ग से गोपालपुर समपर्क मार्ग।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	84.91 84.91 64.57 0.13 84.78	3.95	5.75	75.08	75.08
15	प्रा.ख. चंदौली	कवलपुरा से मुडकटें हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	136.82 136.82 103.45 0.31 136.51	6.37	9.35	120.79	100.00
16	प्रा.ख. चंदौली	सिसौड़ा से ग्राम जिगना गंगा घाट तक सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	106.09 106.09 81.06 0.10 105.99	4.95	7.19	93.85	93.85
17	प्रा.ख. चंदौली	तिरगांवा पक्की सडक से मोहम्मदपुर जमालपुर से होते हुए सरौली पक्की सड़क तक संपर्क मार्ग।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	124.37 124.37 98.00 0.49 123.88	5.80	8.42	109.66	67.13
18	प्रा.ख. चंदौली	माथापार सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	62.68 62.68 51.26 0.23 62.45	2.91	4.26	55.28	55.28
19	प्रा.ख. चंदौली	कालेश्वर नाथ चन्दौली मुख्य मार्ग से मंदिर तक पहुंच मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	247 /2026/आई/1 284952/23-1-26/004-23-1002(002)/21 1/2026-दिनांक-30-03-2026	1996.55 1996.55 1538.36 9.00 1987.55	2.00	45.42	1940.13	300.00
20	नि.ख.-3 झांसी	रक्सा टूंका बैदौरा मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 17 से 34(700) तक में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	26 /2024 /आई/478934 /23-1-24/001-23-1002 (002)/253/20 24 -दिनांक-24-01-2024	4298.35 4298.35 2146.23 1215.00 3083.35	2193.40	0.00	889.95	355.98
21	नि.ख.-3 झांसी	खैड़नी बामौर गरौठा मार्ग (अजिमा) के	93 /2025/आई/8	3160.75 3160.75	1166.24	74.56	910.44	364.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		चैनेज 10.800 से 23.200 तक में 02 लेन हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	76756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	1631.63 1009.51 2151.24				
22	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में बबीना तालबेहट मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 1 से 7 में 1.5 लेन हेतु मार्ग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	437 /2025/आई/1 107763/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2025 दिनांक 04.10.2025 - दिनांक-04-10-2025	1520.40 1520.40 712.98 120.50 1399.90	438.82	32.18	928.90	210.00
23	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में गुरसराय कोटरा मार्ग से परसुआ दुरचऊ मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 1 से 4 तक में 1.5 लेन हेतु मार्ग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	437 /2025/आई/1 107763/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2025 दिनांक 04.10.2025 - दिनांक-04-10-2025	915.47 915.47 606.30 41.50 873.97	359.39	21.56	493.02	159.00
24	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में डगरियारूद्र मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 1 से 3 में 5.50 में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	437 /2025/आई/1 107763/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2025 दिनांक 04.10.2025 - दिनांक-04-10-2025	416.38 416.38 213.88 21.95 394.43	295.19	9.52	89.72	50.28
25	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में इण्टरकनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत बबीना-सिमरिया मार्ग के किमी0 1 कोटीमाता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	255.03 255.03 97.05 6.50 248.53	92.30	9.12	147.11	73.36
26	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झॉसी में ग्राम सैयर से म0प्र0 की सीमा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	186.14 186.14 76.99 3.50 182.64	108.94	4.58	69.12	50.86
27	नि.ख.-3 झांसी	बसोवई नहर के दूसरी तरफ बसौना होते हुये	120 /2026/आई/1 252367/23-1-	121.96 121.96 77.15	5.69	8.26	105.36	93.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		बेलमा तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	2.65 119.31				
28	नि.ख.-3 झांसी	परगहना से कबूतरों का डेरा तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	60.95 60.95 34.26 2.40 58.55	42.84	4.13	11.58	5.73
29	नि.ख.-3 झांसी	अजनेरी से सुट्टा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	213.84 213.84 112.45 2.35 211.49	80.08	12.18	119.23	98.08
30	नि.ख.-3 झांसी	समथर मण्डी से दतावरी कुठौद शाखा बेतवा नहर की पटरी पर नव निर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	201.24 201.24 122.31 1.62 199.62	9.37	13.75	176.50	93.92
31	नि.ख.-3 झांसी	डुमरई (तिगैला) से ग्राम कैरोखर तक संपर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	307.70 307.70 248.60 1.70 306.00	14.33	21.03	270.64	144.02
32	प्रा.ख. बलिया	रतसड़ खेजुरी मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	130 /2024/आई/5 21929/23-1-24/001-23-1002(002)/67 /2024-दिनांक-15-03-2024	1569.91 1569.91 1185.94 4.57 1565.34	1515.37	35.44	14.53	14.53
33	प्रा.ख. बलिया	गौरी एकइल मार्ग से अनिरुद्ध राजभर के घर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	118 /2026/आई/1 252972/23-1-26/001-23-1002(002)/81 /2026-दिनांक-26-02-2026	149.10 149.10 114.26 0.25 148.85	87.63	10.18	51.04	36.16
34	प्रा.ख. बलिया	खेजुरी गढमलपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	283 /2026/आई/1 285603/23-1-26/007-23-1002(002)/22 1/2026-दिनांक-31-03-2026	1998.62 1998.62 1450.30 13.27 1985.35	477.53	42.40	1465.42	397.72
35	नि.ख. मेरठ	रघुनाथ मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से	93 /2025/आई/8	1114.95 1114.95	777.74	26.20	175.41	105.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		खानपुर सिवालखास जानी टीकरी रसूलपुर मढी होते हुए रोहटा तक (अजिमा) मार्ग के चैनेज 7.600 से 15.600 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	76756/23-1-25/001-23-1002(002)/28 /2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	553.57 135.60 979.35				
36	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग से ग्राम नूरपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	64.11 64.11 35.73 5.29 58.82	22.99	4.34	31.49	25.61
37	प्रा.ख. हापुड़	ग्राम हरसिंहपुर से धर्मपुर बिस्वा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	105.84 105.84 79.86 5.51 100.33	4.93	7.16	88.24	5.10
38	प्रा.ख. हापुड़	ग्राम हसनपुर बाईपास से लेकर मध्य गंगा नहर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1 252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84 /2026-दिनांक-27-02-2026	93.15 93.15 62.47 5.35 87.80	4.34	6.30	77.16	49.00
39	नि.ख.-1 रायबरेली	बाबा का पुरवा संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आ ई/1285128/2 3-1-26/001-23-1002(002)/16 3/2026- दिनांक-31-03-2026	84.71 83.38 58.33 0.06 83.32	38.10	5.73	39.49	17.00
40	नि.ख.-1 रायबरेली	एक्सना संपर्क से पेरे गनेशी पेरे भगत फुर्सत संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आ ई/1285128/2 3-1-26/001-23-1002(002)/16 3/2026- दिनांक-31-03-2026	67.34 67.28 46.05 0.41 66.87	33.10	4.56	29.21	12.00
							कुल योग-	**6361.00**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय न किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 63,61,00,000/- (रूपये तिरसठ करोड़ इकसठ लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण /चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

संख्या-678/2026/आई/1401589(1)/23-1-26/005-23-1002(002)/301/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।